बिहार विधान सभा वादवृत्त।

शुक्रवार, तिथि १६ फरवरी, १९५१।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में शुक्रवार, तिथि १६ फरवरी, १९५१ को पूर्वाह्न ११ बजे माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

तारांकित प्रश्नोत्तर।

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS.

महाबीर धुनियां की फरारी।

A†*१६१। श्री राजेन्द्र मिश्र—क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि प्रतापगंज थाने में महाबीर धुनियां नामक एक व्यक्ति कई डकैती, चोरी तथा अन्य पुलिस केस में बहुत दिनों से फरार है;

(ख) क्या यह बात सही है कि उक्त महाबीर धुनियां सहरसा के प्रतापगंज थाने में घर बना कर रहता है और थाने के गांवों में आतंक पैदा कर रहा है;

(ग) क्या यह बात सही है कि उक्त फरार अभियुक्त कुछ दिन पहले दो चौकीदार और स्थानीय जनता के प्रयत्न से पकड़ा कर प्रतापगंज थाने में भेजा गया था;

(घ) यदि खंड (क), (ख) और (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या यह बात सही है कि वह आसामी पुलिस के कब्जे से भाग गया?

माननीय श्री कृष्णबल्लभ सहाय—(क) यह बात ठीक है कि महाबीर धुनियां, गांव घोड़ बागर, पोस्ट आफिस प्रतापगढ़ जिनकी निर्मली के मुकदमें में खोज थी और पुलिस के डकैती केस में खोज थी वे ऐब्सकॉन्ड कर रहे हैं।

(ख) उत्तर नं है। जिस वक्त वे ऐब्सकॉन्ड कर रहे थे उस वक्त उनका कर मूवमेंट था इसका पता नहीं है।

(ग) तीन चौकीदारों ने उनको गिरफ्तार किया जब कि नाइट पेट्रोल से वापस आ रहे थे और उनको प्रतापगंज पुलिस-स्टेशन में भेज दिया गया।

(घ) जब एक्यूज्ड सुपौल कोर्ट जा रहे थे और उनको दो सिपाही लिये जा रहे थे तो हुजास नामक गांव में ६ नवम्बर, १९५० को भाग गये और अभी भी वे भागे हुए हैं। रेड किया था मगर पता नहीं चला। पुलिस उनकी खोज में है। जिस सिपाही के चार्ज में वह था उसको सस्पेंड कर दिया गया है और हुक्म दिया गया है कि सिपाही पर क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन चलाया जाय।

A—Pos poned from the 6th February, 1951.

†माननीय सदस्य की अनुपस्थिति में श्री पुरुषोत्तम चौहान के अनुरोध पर उत्तर दिया गया।

पाँच वर्षों से पूर्णिया जिला में रखे गये हरिजन सब-इंसपेक्टर ऑफ पुलिस की संख्या।

*२३२। श्री शिवनन्दन राम—क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कुछ हरिजन सब-इंसपेक्टर ऑफ पुलिस पाँच वर्षों से भी अधिक दिनों से पूर्णिया जिले में हैं, यदि 'हां' तो उनका नम्बर क्या है?

माननीय श्री कृष्णबल्लभ सहाय—उत्तर 'हां' है। संख्या केवल १ है।

दस वर्ष से अधिक अवधि के सब-इन्सपेक्टर ऑफ पुलिस।

*२३३। श्री शिवनन्दन राम—क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि राज्य में कुछ हरिजन सब-इन्सपेक्टर ऑफ पुलिस हैं, जिनकी नौकरी दस वर्ष से अधिक की है;

(ख) यदि खंड (क) का उत्तर 'हां' में है, तो उनका नाम क्या है, और वे किस जिले में हैं;

(ग) क्या उनमें से किसी को इन्सपेक्टर के पद पर प्रमोशन दिया गया है या नहीं, यदि नहीं, तो क्यों?

माननीय श्री कृष्णबल्लभ सहाय—(क) उत्तर 'हां' है।

(ख) उनका नाम श्री हीरा चौधरी और श्री नर्वदेश्वर प्रसाद है। श्री हीरा चौधरी सी० आई० डी० में हैं और श्री नर्वदेश्वर प्रसाद पूर्णिया जिला में हैं।

(ग) श्री हीरा चौधरी २० जून, १९४९ से ऑफिसियेटिंग इन्सपेक्टर हैं। श्री नर्वदेश्वर प्रसाद को प्रमोशन नहीं दिया गया है, क्योंकि वे प्रमोशन के काबिल नहीं समझे गये हैं।

दरभंगा जिला के कलक्टर के सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट से जारी होने वाली डिमाण्ड नोटिसों की संख्या।

*२३४। श्री राधाकान्त चौधरी—क्या माननीय मंत्री, राजस्व विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) दरभंगा जिला के कलक्टर के सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट से जितनी डिमाण्ड-नोटिसें सन् १९४८ ई० के जनवरी से सितम्बर १९५० तक जारी की गईं उनकी जोड़ संख्या तथा कुल रकम क्या हैं;

(ख) क्या इस काम की जांच एवं पावना और वसूली का ऑडिट भी होता है, अगर हां, तो किसके द्वारा और कितने अवधि के बाद;

(ग) उपर्युक्त समय के अन्दर अगर कोई जांच और ऑडिट हुई हो तो क्या सरकार उस रिपोर्ट की एक प्रति मेज पर रखने की कृपा करेंगी?

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय—(क) १ली जनवरी, १९४८ से ३० सितम्बर, १९५० तक २०,५८८ डिमांड नोटिसेज ११,३९,७३४ रु० १४ आ० १ पाई के लिए ईशू की गई हैं।

(ख) हर ६ महीने में इस आफिस का इन्सपेक्शन डिप्टी कलेक्टर इन-चार्ज करते हैं और साल में एक बार कलक्टर और कमिश्नर भी इन्सपेक्शन करते हैं। इसके अलावे एन्ट्रीज को हर महीने रिक्वीजीशनिंग ऑफिसर्स से चेक करके तुलना भी कर लेते हैं। ऑडिट इसका नहीं होता है लेकिन सर्टिफिकेट ऑफिसर सर्टेन पर्सेंटेज चेक कर लेते हैं। हरेक फाइनल ऑर्डर को एक दूसरे ऑफिसर जिनको अधिकार दिया जाता है, कम्पेअर करके दस्तखत करते हैं।

(ग) यह सवाल नहीं उठता है।

श्री राधाकान्त चौधरी—क्या दरभंगा जिले में इसी तरह से हर साल जांच होती है?

माननीय श्री कृष्णबल्लभ सहाय—उत्तर 'हां' है।

श्री राधाकान्त चौधरी—क्या सरकार को मालूम है कि वहां रुपया गोलमाल हुआ है?

माननीय श्री कृष्णबल्लभ सहाय—सरकार को इसकी कोई खबर नहीं है।

श्री राधाकान्त चौधरी—क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि वहां टिकट बेचा जाता है?

माननीय श्री कृष्णबल्लभ सहाय—कोई स्पेसिफिक एलीगेशन दीजिये कि इतना रुपया इस आदमी ने गोलमाल किया है तो सरकार इसकी जांच करायेगी।

श्री राधाकान्त चौधरी—हमने वहां का हिसाब-किताब नहीं देखा है तो कैसे हम यह बता सकते हैं।

Shri PRABHUNATH SINHA : Do Government propose to enquire into the matter as a serious allegation has been brought to the notice of Government that some *golmal* in the Certificate Department of Darbhanga district has been committed?

माननीय अध्यक्ष—यह तो कोई खास कार्रवाई के लिये अभिस्ताव करना है। एक पत्र लिख देने से ही सरकार उस पर कार्रवाई करेगी।

Shri PRABHUNATH SINHA : I do not make any request for action; but I want to know whether there is any such thing under the consideration of Government?

माननीय श्री कृष्णबल्लभ सहाय—हमारे पास जो रिपोर्ट आई है उस से पता चलता है कि रुपये की कोई गड़बड़ी नहीं है। उनका सवाल डिमांड नोटिस और जांच के बारे में था जिसका जवाब हमने दे दिया है। अगर आप लोग मेटिरियल्स दें कि फलां आदमी ने इतना रुपया गबन किया है तो सरकार इसकी जांच करायेगी और ऐसा करने के लिये सरकार आप लोग को धन्यवाद भी देगी।